



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रेखा पाठेड़ी
२.३/३२० छरपुर योजना,
फीलिया

पत्रांक ५९१

नि० प्रा० २०१६/१०६

दिनांक २६-१०-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या २.३/३२० योजना छरपुर योजना नगर फीलिया
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २९.१०.१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१६/१०६
..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २६-१०-२०१६ से २५-१०-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटी हेतु ६४.३० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १२७.५० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रभाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ५९१

/ उपरोक्त

तददिनांक २६-१०-२०१६

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-३.४.१२७.५० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ३.४.१२७.५० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२६-१०-२०१६
२६-१०-२०१६
Nam
२६-१०-२०१६

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...दृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी संगीता देवी
भवन नं १.१ / ३५९ ल. १.८.६
दरपुर सोलही, वाल्मीकी
नि० प्रा० २०१६/१२

पत्रांक 451

दिनांक ७-१०-२०१३

भवन / भूखण्ड संख्या / खसरा संख्या...। A | 359 योजना टक्कुर नगर बालीया
 निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ॥४३.७
 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों
 के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत
 पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- पाय जान का दशा में मानवता स्पति-निरस्ता राजनीता जान पाया।

 - स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक..... से तक) पाँच वर्ष की होगी । निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा ।
 - यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटी-हेतु ३५.९.६ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ६.।.९.४ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है ।
 - भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३.५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी ।
 - यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है ।
 - यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।
 - 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा ।

२) विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ४५।

/ उपरोक्त

तद्दिनांक ~~१५-१०-२०१८~~ ७-१०-२०१८

प्रतिलिपि :-

- प्रतिलिपि :

 - अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड..... ३४ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद **वाराणसी**
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय. **जलाहर भग्ना** उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद **कालीया**
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **कालीया**

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी... राज कुमारी ठारी
भवन सं० 2 B / 328 इल्लुपुर योजना,
लालीया

पत्रांक 453 नि० प्रा० नि० प्रा० 2016/93 दिनांक 7-10-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2 B/28 योजना इल्लुपुर नगर बालीया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.9.2016 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 120/438

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 7-10-2016 से 6-10-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय-तल तथा ममटी हेतु 60.10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 136.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
[Signature]

पृ० सं० 453

/उपरोक्त

तददिनांक 7-10-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वाराणसी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
[Signature]



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/स्त्री/उमा गुलाब चन्द्र रोनियार
2A/424-हरपुर योजना विभाग

पत्रांक 302

नि० प्रा० 2017/77

दिनांक 29-8-2017

भवन/..... संख्या 2A/424 योजना हरपुर योजना नगर विभाग

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21-8-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 115/824 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 29-8-2017 से 28-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 26.05 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

१) विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 302

/ उपरोक्त

तददिनांक 29-8-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, नामांकन को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, नामांकन को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१) विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

29-8-17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री / मिशन ऑफिसर
ग्राम पंचायत-प्रधार जिल्हा बालिया

पत्रांक 291

नि० प्रा० 2017/67

दिनांक 18.8.2017

कृपया भूखण्ड संख्या / 2A/476 योजना हरपर ग्राम नगर बालिया
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 08-08-2017 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 104/863
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18.8.2017 से 17.8.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूलल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 38-51 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 28.22 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक प्रतिलिपि :-

पृ० सं० 291

/ उपरोक्त

दिनांक 18.8.2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उप्रो आवास एवं विकास परिषद, बालिया
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, भलपुरा उप्रो आवास एवं विकास परिषद, बालिया
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक प्रतिलिपि :-



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / _____

कृष्ण प्रसाद सिंह

1A/125 हरपुर योजना ब्लॉक

पत्रांक २५८

नि० प्रा० २०१७/६२

दिनांक २१-७-२०१७

भवन / _____ संख्या 1A/125 योजना हरपुर योजना नगर ब्लॉक

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १९-७-२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक २१-७-२०१७ से २०-७-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, _____ हेतु ३६.०६ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ६०.५९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३४ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।

४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।

५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३४ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद १८०४०८
को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय १८०४०८ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद १८०४०८
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि :-



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

पत्रांक 41

निर्माण 2017 / 1

दिनांक १-१२-२०१७

भवन / भूखण्ड संख्या / खसरा संख्या । A | 239 योजना दरपुर नगर वालिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 12/५८७ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 1-3-2017 से 31-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
 - यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 35.76 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 109.81 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
 - भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ30 प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
 - यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
 - यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कायाधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक

प० सं० ५१

/ उपरोक्त

तद्दिनांक १-३-२०१८

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड..... 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्..... नागरिकता को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय..... नागरिकता नगर..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्..... नागरिकता को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("'उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ क्रुमारी रामेश्वर राय
2 A/413 दरपुर योजना
बालीया

पत्रांक 475

नि० प्रा० 2016/10।

दिनांक 20-10-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2 A/413 योजना दरपुर नगर बालीया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०१.१०.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 458 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-10-2016 से 19-10-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 19.22 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 25.05 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक^{कमिटी}

पृ० सं० 475

/ उपरोक्त

तददिनांक 20-10-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भालुपुरा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक^{कमिटी}



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सतीश कुमार ठिंड

2 B / 317 लोक नगरपालिका नगर

आवास विलास फ्लॉनी, ईरफुर, बालिया।

पत्रांक ४

नि० प्रा० 2016/107

दिनांक 4-1-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या 2B/317 योजना ईरफुर नगर बालिया

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 02-01-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 138/482

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 4-1-2017 से 3-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 25x3.78 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 129.78 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० स० ४

/ उपरोक्त

तददिनांक 4-1-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय झूला हर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Ram